

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Thursday, 24 September 2026

जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर अधिकारियों की अहम बैठक, सीतापुरा से टोडी मोड़ तक बनेगी नई मेट्रो लाइन।

Publisher

Published on 28 May 2025



राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने ली समीक्षा बैठक, मेट्रो परियोजना को लेकर तेज़ी से हो रही कार्रवाई।

सवांदाता, जयपुर, राज

स्थान

सवांदाता, जयपुर, राजस्थान : राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आज जयपुर मेट्रो परियोजना के विस्तार को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में सीतापुरा से टोडी मोड़ तक प्रस्तावित नई मेट्रो लाइन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

यह मेट्रो लाइन बजट 2025 की प्रमुख घोषणाओं में शामिल थी, और अब इसे तेज़ी से ज़मीन पर उतारने की दिशा में काम शुरू हो गया है।

बैठक में कौन-कौन रहे शामिल ?

बैठक में कई शीर्ष अधिकारी शामिल हुए, जिनमें प्रमुख रूप से:

१. प्रवीण गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव, PWD
२. वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग (UDH)
३. प्रदीप जी, RO, NHAI

४. जयपुर मेट्रो के निदेशक

५. अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी

क्यों महत्वपूर्ण है यह मेट्रो परियोजना ?

१. जयपुर के दक्षिणी और पूर्वी इलाकों को जोड़ेगी मेट्रो लाइन

२. बढ़ते ट्रैफिक को मिलेगा विकल्प

३. पर्यावरण संरक्षण में भी मिलेगा योगदान

४. पर्यटन नगरी जयपुर को मिलेगा स्मार्ट सिटी का समर्थन

५. सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से लेकर टोडी मोड़ तक लाखों लोगों को आवागमन में मिलेगी राहत

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने क्या कहा ?

दीया कुमारी ने बैठक में कहा, "जयपुर की बढ़ती जनसंख्या और ट्रैफिक को देखते हुए मेट्रो का विस्तार समय की आवश्यकता है। हम इस प्रोजेक्ट को तेज़ गति से आगे बढ़ाएंगे, ताकि शहरवासियों को शीघ्र राहत मिल सके।"

भविष्य की कार्ययोजना

१. परियोजना की DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जल्द तैयार की जाएगी

२. जमीन अधिग्रहण, ट्रैफिक डायवर्जन, पर्यावरणीय स्वीकृति जैसे मुद्दों पर आगे की चर्चा

३. केन्द्र सरकार से मंजूरी के बाद 2026 तक निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.